B.A. III Hobbes on Sovereignty

Paper 6th
Unit-4
Topic — संप्रभुता के संबंध में हॉब्स के विचार

एक राजनीतिक चिंतक के रूप में हॉब्स ने संप्रभुता का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। अपने देश इंगलैंड के गृह-युद्धों और अराजकता पूर्ण स्थिति से बेहद घृणा थी। वह अपनी लेखनी के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना चाहता था। अतः उसने प्राकृतिक अवस्था के असभ्य बर्बर तथा हिंसक जीवन की असहय विभीषिकाओं के वर्णन द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि मानव-जीवन में सुख-सुविधा, शांति और सुरक्षा की नितान्त आवश्यकता होती है, जिसके लिए मनुष्य को अपनी दुष्प्रवृत्तियों को परित्याग करके स्वेच्छा और सहमति से किसी संप्रभु-शक्ति की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, जो अपनी शक्ति और आदेशों से अनियंत्रित लूट पर अंकुश लगाकर सुव्यवस्था की स्थापना करता है। अतः हॉब्स का सामाजिक समझौता तथा राज्य-उत्पत्ति के सिद्धान्त के प्रसंग में ही उसने संप्रभु के विराट स्वरूप का चित्र अंकित किया है। संप्रभुता उसके पूर्व-वर्णित विचारों से ही जन्म लेती है। हॉब्स का हर नया विचार उसके पूर्व-प्रतिष्ठित विचार पर आधारित रहता है।

हॉब्स के संप्रभुता की विशेषताएं :— हॉब्स ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह संप्रभु में निहित गुण अथवा विशेषता है जिसे एक विशाल जन-समूह एक दूसरे से सहमत होकर अपने कार्यों का कर्ता बनाता है। संप्रभु उन व्यक्तियों की शक्ति और साधनों का प्रयोग कर शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करता है।

1. सर्वशक्तिमान (All Powerfulness) :— हॉब्स ने संप्रभु को सर्वशक्तिमान कहा है। उसमें राज्य की विधायिका, कार्यपालिका एवं न्याय पालिका से सम्बन्धित सभी शक्तियाँ केन्द्रीभूत होती है। हॉब्स ने संप्रभु को शक्तियों और कार्यों को उसके अधिकारों की संज्ञा दी है। इस प्रकार हॉब्स का संप्रभु असीम और अनियन्त्रित शक्तियों का उपभोग करता है। हॉब्स का का संप्रभु अपने कृत्य अधिकारों का प्रयोग अधिकारियों के माध्यम से करता है सभी अधिकारी अपने कार्यों के लिए उसके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

2. संप्रभुता का स्वरूप कानूनी :- हॉब्स ने सम्प्रभुता को कानूनी रूप प्रदान किया है। चूंकि सम्प्रभु कानूनों का निर्माण करता है तथा उन्हें बल पूर्वक लागू करता है अतः उसका स्वरूप कानूनी है। हॉब्स ने प्राकृतिक कानूनों की अपेक्षा नागरिक कानूनों को अधिक महत्व दिया है। प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने अपने सारे प्राकृतिक अधिकारों तथा वैयक्तिक शक्तियों का परित्याग करके अपने प्रतिनिधि रूप सम्प्रभु को प्रतिष्ठित किया, अतः स्वभाविक रूप से सारे अधिकार संम्प्रभु में निहित हो जाते है। हॉब्स ने विधि विशेषज्ञों द्वारा समर्थित प्रथा को भी अस्वीकार किया है, साथ ही प्रथाएँ सम्प्रभु को मर्यादित नहीं करती बल्कि स्वयं सम्प्रभु के द्वारा मर्यादित होती है, क्यों कि उनकी वैधता संम्प्रभु की स्वीकृति पर निर्भर करती है। अतः हॉब्स ने संम्प्रभुता के वैधिक स्वरूप का वर्णन करके उसे सर्वशक्तिमान बनाता है।

3. निरंकुशता (Absolutism) :- हॉब्स ने संम्प्रभुता पर बोदां द्वारा लगायी गयी सम्पत्ति संबंधी सीमा को ठुकराकर निरंकुश संम्प्रभुता का चित्र अंकित किया है। उसके अनुसार संम्प्रभु शान्ति और सुरक्षा की स्थिति में ही धनोपार्जन करते है, अतः सम्प्रभु संपत्ति का सृजनहार तथा उसके संबंध में विधान का प्रकृतिः अधिकारी है। अतः सम्प्रभु लोगों की स्वीकृति के बिना भी करारोपण कर सकता है तथा उसे प्रजा की सम्पत्ति लेने तक का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार बोदां द्वारा लगायी गयी मर्यादा का विलोपन करते हुए हॉब्स ने संम्प्रभुता को निरंकुश और असीम बनाने का प्रयास किया है।

4. सम्प्रभुता अविभाज्य (Sovereignty Indivisible) :- हॉब्स ने शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को अस्वीकार करते हुए अविभाज्य स्वरूप का अंगीकार किया है। यहां हम उसमें बोदां के विचारों की छाप पाते हैं। अन्य विचारकों के मिश्रित संविधान के सिद्धान्त को उसने अस्वीकार किया है, मिश्रित शासन उसके मत में संम्प्रभु-शक्ति को विभाजित कर देता है। इंगलैंड ने सम्प्रभु-शक्ति का राजा, लोकसभा, लार्ड-सभा के बिच शक्ति-विभाजन के कारण ही गृहयुद्ध

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

होते रहे। अतः हॉब्स के अनुसार संप्रभुता के प्रयोग में किसी को भागीदार नहीं बनाया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे संप्रभु नष्ट हो जाती है।

5. संप्रभुता अदेय (Sovereignty Inalienable) :— हॉब्स के अनुसार संप्रभुता अदेय है। यह एक ही स्थान पर केन्द्रित रहती है इसे दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। इसके हस्तान्तरण अथवा अपहरण से इसका असली स्वरूप नष्ट हो जाता है, अतः उसने अदेय संप्रभुता का विचार देते हुए राज्य में संघ एवं समुदाय को संप्रभु की अधिनता में पूर्ण रूप रहने का विचार प्रकट किया है। राज्य की सभी सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सत्ता संप्रभु के हाथों में रहती है। उसकी अनुमति के बिना संघों जैसी कोई भी सत्ता राज्य में नहीं रह सकती। इस प्रकार स्पष्ट है कि हॉब्स की संप्रभुता अदेय है।

6. संप्रभु का विरोध कब (When is the Sovereign to be Opposed ?) :— हॉब्स ने संप्रभुता को सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान कहा है फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया है, जिसमें राज्य के व्यक्ति को संप्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करने का अधिकार मिलता है। उसने लिखा है कि यदि संप्रभु किसी व्यक्ति को अपनी हत्या करने, अपना अंग-भंग करने अपने आक्रमणकारियों का विरोध न करने अथवा जीवन को कायम रखने वाली वस्तुओं का प्रयोग न करने का आदेश देता है तो वह व्यक्ति उसके आदेश की अवहेलना कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि हॉब्स ने जीवन की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया है। उसके मत में मनुष्यों ने आत्मरक्षा हेतु सामाजिक समझौता करके शासन की स्थापना की थी। अतः संप्रभु का यह कर्तव्य है कि मनुष्यों के जीवन की सुरक्षा प्रदान करें। वह व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा के विरुद्ध आदेश नहीं दे सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो विरोध और क्रान्ति अवश्यम्भावी है। विरोध के सफल होने पर संप्रभुता समाप्त हो जाती है। लोग अपनी पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौट जाते हैं। अपनी रक्षा के लिए नये संप्रभु का चुनाव करते हैं।

इस प्रकार हॉब्स ने सर्वोच्च, असीम, निरंकुश अविभाज्य तथा अविच्छेद्य संप्रभुता का समर्थन किया है। संप्रभु पर जो बंधन लगाया गया है, उसका उद्देश्य असीमित संप्रभु की अस्वीकृति को

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

को दर्शाता है। ~~संप्रभु पर~~ ~~[illegible]~~ ~~इसका उद्देश्य~~
हॉब्स ने अपने संप्रभु को बोदां की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। उसने अपने प्रकृति में निर्बल स्थिति तथा स्वेच्छाचारिता को ~~[illegible]~~ अस्वीकार किया है। हॉब्स ने अपने दार्शनिक विचारों और निर्देशों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उसे अपने जीवन में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए निरंकुश संप्रभु के अंकुश में रहना लाभकारी और हितकर है।

आलोचकों ने हॉब्स के सम्प्रभुता की कठोर आलोचना की है। सर्वप्रथम हॉब्स ने सम्प्रभु को पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी बनाया है। उसने बोदां द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों को भी हटा दिया। उसने केवल सम्प्रभु पर जीवन-सुरक्षा का प्रतिबन्ध लगाया है जो निरर्थक है। सर्वशक्ति-से सम्पन्न सम्प्रभु किसी ऐसे प्रतिबन्ध से निर्देशित नहीं होता।
द्वितीय आलोचकों के अनुसार जीवन सुरक्षा पर बार-बार ज़ोर देकर तलवार के भय से सभी इच्छाओं और स्वतंत्रताओं को त्यागने और कुंठित जीवन जीने की शिक्षा कभी भी पसन्द नहीं की जा सकती है।
तृतीय प्रो॰ 'गैटेल' ने कहा है कि सामाजिक संविदा-सिद्धान्त को निरंकुश वाद के समर्थन की ओर मोड़ने में हॉब्स का प्रयास पूर्ण रूप से असफल रहा है।
चतुर्थ आलोचकों के अनुसार हॉब्स का सम्प्रभुता का सिद्धान्त असम्भव और खतरनाक दोनों है। असंभव इसलिए है कि इसमें केवल तलवार के भय से आंतरिक एकता का कोई सूत्र नहीं है, यह खतरनाक इसलिए है कि प्रजा निरंकुशता में दासता की बेड़ियाँ पहनते हैं अतः उन्हें कोई भी संरक्षण नहीं मिल पाता है।

अन्त में कह सकते हैं कि हॉब्स के सम्प्रभुता के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उसने बोदां ~~[illegible]~~ द्वारा लगाये प्रतिबन्धों को समाप्त कर उसे मर्यादित बनाया। इसका सीधा प्रभाव 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन पर पड़ा। हम देखते हैं कि हॉब्स ने संप्रभुता का जो स्वरूप प्रदान किया है उसे आज भी समर्थन मिल रहा है। उसने अपने सिद्धान्त में व्यक्तिवाद को प्रश्रय दिया है। उसने राज्य को साध्य न मान कर व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण का साधन माना है।

—— × —— × ——

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner